

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई - अगस्त, 2000 संत्र

कनिका कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2000 (श्रावण 3, 1922)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रस्तॄत

पृथक्षतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विधिविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार गुरु धासीदास विधिविद्यालय, बिलासपुर (म.प.) का सोलहवीं वार्षिक प्रसिद्धेन वर्ष 1998-99 (दिनांक 1-7-98 से दिनांक 30-6-99 तक) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोपाल भागव, सदस्य, सागर जिले के रेहली में सुनार नदी पर पुल के आभाव में हुई दुष्टनाओं से अनेक मौतें होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सुर्वील नाथक, बुजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर व सिमरिया ग्राम में एक परिवार के व्यक्तियों द्वारा नागरिकों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मणिलाल गोडल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम तरीचरकली के कुषकों को विद्युत कनेक्शन कियाये जाने,

(ख) ग्राम चुराया में अलिरिक विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने; तथा

(ग) ग्राम तरीचरकली में भू-भाटक राशि की वसूली स्थगित कराये जाने।

(2) श्री नित्यनिरेजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा नगर स्थित शासकीय इयाम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास को शासनाधीन लिये जाने; एवं

(3) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले में बररी दाढ़ी तट नहर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

2 घन्टे

(1) श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश अशासकीय विधेयक संसद्या (अध्यापकों लिया अन्य कर्मचारियों के बीच संवाद) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया 30 मि.) जाय। अर्चा का पुनर्गठन।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(3) श्री धनेन्द्र साह, राज्यपत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. नियम 138 के आधीन अविलम्बनीय लोक महस्त के विधय पर अर्चा

1 घन्टा
30 मि.

प्रदेश में सङ्कों की अर्जीर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी., वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजबार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लज्जेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, युन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, अर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : 24 जुलाई, 2000

के.पी. शिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।